



# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: registrar@shekhauni.ac.in

## प्रबंध बोर्ड की 29वीं बैठक 25.06.2026 का कार्यवाही विवरण

प्रबंध बोर्ड की 29वीं बैठक दिनांक 25.06.2026 को विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:15 बजे आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

|     |                                           |                                        |                |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1.  | प्रोफेसर (डॉ.) अनिल कुमार राय             | कुलगुरु                                | अध्यक्ष        |
| 2.  | श्री मुकेश कुमार शर्मा, उच्च शिक्षा विभाग | उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान।           | सदस्य (ऑनलाईन) |
| 3.  | श्री ओमप्रकाश, प्रतिनिधि, वित्त विभाग     | वित्त विभाग, राजस्थान सरकार            | सदस्य          |
| 4.  | डॉ. वी. डी. मुदगल                         | माननीय राज्यपाल द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य          |
| 5.  | डॉ. मनोज बहरवाल                           | माननीय राज्यपाल द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य (ऑनलाईन) |
| 6.  | डॉ. अरविन्द पारीक                         | शिक्षाविद् (राज्य सरकार द्वारा नामित)  | सदस्य          |
| 7.  | डॉ. रिछपाल सिंह                           | शिक्षाविद् (राज्य सरकार द्वारा नामित)  | सदस्य          |
| 8.  | डॉ. मंजू लाडला                            | संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय       | सदस्य          |
| 9.  | डॉ. मनोज                                  | संकायाध्यक्ष, शिक्षा                   | सदस्य          |
| 10. | पदेन कुलसचिव                              | कुलसचिव                                | सदस्य सचिव     |

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व कुलगुरु महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (एजेण्डा) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

**एजेण्डा संख्या 1: प्रबंध बोर्ड की 28वीं बैठक दिनांक 30.04.2026 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।**

**निर्णय:** प्रबंध बोर्ड की 28वीं बैठक दिनांक 30.04.2026 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेण्डा संख्या 2: दिनांक 25.04.2026 को आयोजित हुई वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।**

**निर्णय:** दिनांक 25.04.2026 को आयोजित हुई वित्त समिति की 18वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया तथा उपस्थित समस्त सदस्यों ने विश्वविद्यालय बजट पर निम्नांकित निर्णय लिए कि:-

- विश्वविद्यालय की अधिशेष निधी (FDR's) को राष्ट्रीयकृत बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (12 बैंक), एवं निजी क्षेत्र के ICICI, AXIS एवं HDFC बैंक से ही बनवाये जाने पर सहमति प्रदान की जाए।
- भविष्य में University Building Infrastructure (अति आवश्यक छोटे निर्माण कार्य को छोड़कर) कार्य हेतु बजट राज्य सरकार से प्राप्त कर व्यय किया जाये ना कि विश्वविद्यालय कोष से व्यय किया जाये।
- बजट घाटे की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय की अधिशेष निधीयों से की जायेगी।
- विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए ई-बुक्स की खरीद में यथासंभव निःशुल्क या ओपन सोर्स ई-बुक्स के विकल्प को ही अपनाया जावे।
- एयर कंडीशनर (AC) के बजट को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध एयर कंडीशनर (AC) की संख्या और उनके मेंटेनेंस पर होने वाले भारी खर्च की समीक्षा की जाए।

**एजेण्डा संख्या 3: दिनांक 22.06.2026 को आयोजित हुई विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।**

**निर्णय:** दिनांक 22.06.2026 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया

**एजेण्डा संख्या 4: राज्यपाल सचिवालय लोकभवन जयपुर, का पत्र क्रमांक: एफ.43(2)आरबी/2023/2316 दिनांक 29.04.2026 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुलगुरु की नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा एक सदस्य को नामांकित किए जाने का प्रस्ताव।**

**निर्णय:** उपरोक्त एजेण्डे पर चर्चा एवं निर्णय के दौरान प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष/कुलगुरु महोदय तकनीकी कारणों से अपने को बाहर रखा इस दौरान बैठक की अध्यक्षता कुलसचिव महोदय द्वारा की गई। उपस्थित प्रबंध बोर्ड के सदस्यों द्वारा लोकभवन, जयपुर की पालना में सर्वसम्मति से कुलगुरु की नियुक्ति हेतु **प्रोफेसर गोविन्द सहाय शुक्ला, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर** को खोजबीन समिति में सदस्य नामित किया गया। इस संबंध में लोकभवन, जयपुर को यथाशीघ्र प्रेषित करने को कुलसचिव को कहा गया।



कुलसचिव